दिनांक 17.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की कानपुर तथा लखनऊ इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संचालित **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 17.11.2025 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की कानपुर एवं लखनऊ इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- **भ्रष्टाचार निवारण संगठन कानपुर इकाई** द्वारा श्री सौरभ पाल निवासी ग्राम व पोस्ट बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के होटल को सुचारू रूप से चलवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री जगदीश यादव के नेतृत्व में सिकन्दरा चौराहा, हाईवे ओवरब्रिज के समीप चाय की दुकान के पास से **आरक्षी ना0पु0 गौरव कुमार** पुत्र स्व. श्रीराम कुमार थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात मूल निवासी: अड्डा श्यामलाल महेरा फाटक, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जिला इटावा को 06 हजार रूपये (छः हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

2- **भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई** द्वारा श्री रजीम खान निवासी रमजानी पुरवा रूईया दोलतयारपुर, थाना माधोगंज, जनपद हरदोई से विवेचना में धारा न बढ़ाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री निखिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना माधोगंज परिसर, उपनिरीक्षक हॉस्टल, जनपद हरदोई से **उ0नि0 ना0पु0 आकाश कोशवाल** पुत्र सतीश कुमार थाना माधोगंज, जनपद हरदोई निवासी: सिम्भावली खुड्डा, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर को 70 हजार रूपये (सत्तर हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 17.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 29/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0: थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2023 के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोशित अपराधी योगेष गुप्ता एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांकः 16–11–2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/23 धारा 506/504/120बी/406/420 भा0द0वि0 के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी योगेश गुप्ता को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

योगेश गुप्ता पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी बी/3– नई कालोनी, देवेन्द्रपुरी, थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद। हाल पता– ओघडनाथ मन्दिर के पास काली पलटन, थाना सदर बाजार, जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 16–11–2024 समय लगभग 23.10 बजे, बीकानेर रेस्टोरेन्ट के सामने, निकट हाईवे किनारे, मोदी पुरम जनपद मेरठ क्षेत्र ।

उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 16–11–2025 को एस0टी0एफ0 की टीम सक्रिय एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की पतारसी–सुरागरसी में जनपद गाजियाबाद एवं जनपद मेरठ में भ्रमणशील थी तो उसी दौरान एस0टी0एफ0 की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी कि थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/23 धारा 420/406/504/

506/120बी भादवि के अभियोग में वांछित रू0 50 हजार का ईनामी अपराधी योगेश गुप्ता, जनपद मेरठ के मोदीपुर क्षेत्र में बीकानेर रेस्टोरेन्ट के सामने खड़ा है, जो कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त योगेश गुप्ता को उपरोक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त योगेश गुप्ता ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र करीब 43 साल है और वह बी0कॉम पास है। बताया कि पढाई करने के उपरान्त वह आई0टी0एस0 डेन्टल क्लीनिक मुरादगनर में लैब टैक्निशियन के पद पर काम करता था और उसको शुरू से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गयी थी। जिस कम्पनी में अभियुक्त योगेश गुप्ता के पिता सुरेश चन्द्र गुप्ता काम करते थे, उसी कम्पनी की तरफ से एक पॉलिसी के तहत कम्पनी की तरफ से अभियुक्त योगेश गुप्ता के पिता को रहने के लिए एक मकान मिला हुआ था, जिसका मालिकाना हक कम्पनी के नाम पर था, जिसको बेचा नही जा सकता था। अभियुक्त योगेश गुप्ता को जुआ खेलने की आदत इतनी बढ गयी थी कि उसने जुआ खेलने के लिए लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण अभियुक्त पर लोगों का काफी कर्ज हो गया था। इसी उधारी के चलते कर्ज का पैसा न चुकाने के कारण अभियुक्त योगेश गुप्ता ने वर्ष 2021 में अपने पिता सुरेश चन्द्र गुप्ता की मृत्यु के उपरान्त जो घर कम्पनी ने उसके पिता सुरेश चन्द्र गुप्ता को रहने के लिए दिया था, उस घर को धोखे से अभियुक्त योगेश गुप्ता ने अपनी माता एवं बहन के साथ मिलकर अलका पत्नी यशपाल निवासी नई कालोनी, देवेन्द्रपुरी मोदीनगर को बेच दिया था और जब तक इस मकान के सम्बन्ध में अलका पत्नी यशपाल आदि को जानकारी हुई तब तक अभियुक्त योगेश गुप्ता पैसा लेकर जनपद मेरठ भाग कर वहीं पर रहने लगा था। इस धोखाधडी के सम्बन्ध में दिनांक 27–05–2023 को श्रीमती अलका पत्नी यशपाल निवासी बी–16, 121 नई कालोनी, देवेन्द्र पुरी मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा थाना मोदीनगर, गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 280/23 धारा 406/420/504/506/120बी भादवि का अभियोग योगेश गुप्ता आदि 03 नफर के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था और इसी अभियोग में अभियुक्त योगेश गुप्ता फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध/मुख्यालय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के स्तर से दिनांक 29–10–2024 को रू0 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित हो रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त योगेश गुप्ता, उपरोक्त को थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 280/23 धारा 406/420/504/506/120बी भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद रामपुर/थाना गंज

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.11.2025 को थाना गंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गंज गडिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी नौगवा थाना सहावर जनपद कासगंज।

जनपद उन्नाव/थाना आसीवन

• पुलिस कार्यवाही में 10–10 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 17.11.2025 को थाना आसीवन व एसओजी की सयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौधरी खेड़ा पुल के पास चैकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–सनी उर्फ बदरिया 2–राजा बाबू घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया । अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए । घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना आसीवन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद

स्तर से 10—10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था । गिरफ्तार अभियुक्त राजा बाबू के विरूद्ध जनपद उन्नाव, फतेहगढ़, हरदोई व कासगंज के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त सनी उर्फ बदरिया के विरूद्ध जनपद उन्नाव व कासगंज के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है ।

इस संबंध में थाना आसीवन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सनी उर्फ बदरिया निवासी मोहल्ला गांधी नगर तकीपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

2—राजा बाबू निवासी नवाबगंज थाना सांडी जनपद हरदोई ।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

जनपद मैनपुरी/थाना घिघोर

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः 17.11.2025 को थाना घिघोर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम फाजिलपुर जंगल से 04 अभियुक्तों 1—विष्णु उर्फ अर्जुन 2—आकाश 3—ताज उर्फ छोटे 4—मौमीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना घिघोर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विष्णु उर्फ अर्जुन निवासी खिरिया बेबर जनपद मैनपुरी।

2—आकाश निवासी मोहल्ला सौतियाना समसान घाट रोड थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

3–ताज उर्फ छोटे निवासी ग्राम कुसैना थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

4–मौमीन निवासी ग्राम कुसैना थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 02–02 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना रामगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/364/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बिलाल 2–हाशिम को आजीवन कारावास व 02–02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–प्रांशू 2–योगेश कुमार को धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3–जयसिंह को धारा 302 सपठित धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना उभांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना उभांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामकेवल 2–चानमुनि को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अजय कुमार उर्फ पताली 2–प्रेम चौधरी उर्फ मोनी 3–रणविजय उर्फ गोलू को आजीवन कारावास व 11–11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————